न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चौहटन, जिला बाडमेर

दिनांक 23.6.17

क्रमांक / रीडर / 2017 / 1390

प्रेषित :–

तहसीलदार सेड़वा

विषय :– राजस्व आवेदन सं. 509 / 2016 अन्तर्गत धारा 131 भू.रा.अ. अनवान मगाराम बनाम ठाकराराम वगैरा में निर्णय की पालना बाबत्।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि उपरोक्त आवेदन में न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 14.06.17 की प्रमाणित प्रति अनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद कर 15 दिवस में पालना रिपोर्ट पेश करे।

उपखण्ड अधिकारी
चौहटन

उपखण्ड अधिकारी
चौहटन

<u>न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चौहटन जिला बाड़मेर</u>

राजस्व आवेदन सं. 509/2016

पीठासीन अधिकारी –श्री भागीरथराम, आर.ए.एस

<u>**अन्तर्गत धारा 136 RLR Act**</u>

प्रार्थी – **1. मगाराम पुत्र भेराराम जाति जाट**
निवासी सांवा, तहसील सेड़वा

बनाम

प्रार्थीगण – **1. ठाकराराम 2.वगताराम पि. भेराराम, जाति जाट**
निवासी सांवा, तहसील सेड़वा
3.तहसीलदार सेड़वा।

अधिवक्तागण – प्रार्थी वकील – **श्री अनिल गोदारा**
विप्रार्थीगण वकील –

<u>निर्णय</u>

दिनांक :– 14.06.17

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन का सार संक्षेप में इस प्रकार है कि मौजा जाखड़ों का तला, पटवार हल्का कितनोरिया, तहसील सेड़वा में प्रार्थी एवं उसके अन्य भाईयों की खातेदारी का खेत खसरा सं. 440/435 रकबा 24.00 बीघा का आया हुआ है। वादग्रस्त भूमि क्रय सुदा भूमि है। वक्त बेचान प्रार्थी का नाम राजस्व रेकर्ड में मगाराम ही अंकित था। संवत् 2046 से 2062 तक प्रार्थी का नाम राजस्व रेकर्ड में मगाराम ही रहा। लेकिन जमाबन्दी संवत् 2063–2066 व 2067–2070 में प्रार्थी का नाम त्रुटिवश मगाराम के स्थान पर भगाराम कर दिया गया। जबकि प्रार्थी के तमाम सरकारी दस्तावेजों यथा मतदान, पहचान पत्र, राशनकार्ड, आधार कार्ड, जॉबकार्ड, बैंक खाता डायरी में प्रार्थी का नाम मगाराम ही अंकित है। इसलिए प्रार्थी अपना नाम भगाराम के स्थान पर मगाराम दुरस्त करवाना चाहता है। इस हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर इस्तदुहा चाही गई है।

प्रार्थी का आवेदन दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया है। पत्रावली राजस्व लोक अदालत : न्याय आपके द्वार 2017 कोर्ट कैम्प कितनोरिया में प्रस्तुत हुई। उपरोक्त नाम दुरस्ती के संबंध में हल्का पटवारी कितनोरिया से जानकारी प्राप्त की गई। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का अध्ययन अवलोकन किया गया । पत्रावली का अध्ययन अवलोकन किया गया। जिसे स्पष्ट होता है कि प्रार्थी का वास्तविक नाम मगाराम ही है। अतः प्रार्थी का आवेदन स्वीकार करने योग्य है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 रा.भू.रा. अधिनियम वास्ते नाम दुरस्ती का स्वीकार किया जाकर प्रार्थी का सही नाम मगाराम दुरस्त करने का आदेश दिया जाता है। पत्रावली निर्णय शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार 2017 कोर्ट कैम्प कितनोरिया में दिनांक 14.06.2017 को में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
चौहटन